

2023/774

294
23

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान 2023

"न्याय आपके द्वार"
राजस्व लोक अदालत
2018

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़

विषय:—सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनुवान श्री रतनलाल पिता/पति धुन्नीलाल चमार

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ वस्ती

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनुवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी रतनलाल
पिता धुन्नीलाल चमार नि सोक्या का/के/ हूँ/है।

मेरे/हमारे प.ह. सोनगर के राजस्व ग्राम सोक्या में खाता संख्या
59 कितना 7 रकवा 156 है। भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें

मेरी/हमारी जाति/नाम रतना पिठुनिया दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप
में रतनलाल पिठुनिया दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम रतना पिठुनिया के बजाय रतनलाल पिठुनिया दर्ज
करवाने की कृपा करावे।

दिनांक.....

रतनलाल पिठुनिया

रतन लाल

हस्ताक्षर

प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का सोनगर

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रतनलाल पिता धुन्नीलाल चमार
नि सोक्या राजस्व ग्राम सोक्या प.ह. सोनगर की जमाबन्दी

प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में रतनलाल पिठुनिया दर्ज करवाना
चाहता है/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के

है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना
उचित है।

रतनलाल

रतनलाल 23